Issuance of Out of Turn Priorities

711. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has authorised certain persons other than sitting Members of Parliament to issue out of turn telephone priorities ;

(b) if so, what are the particulars of persons and the number of priorities given to each together with the reasons therefor ; and

(c) whether there is any proposal under Government's consideration to increase the out of turn priority quota of the Members of Parliament ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) With effect from 1-1-92 the powers for sanction of telephone connections on the recommendations of Members of Parliament from their annual quota have been delegated to the Chief General Managers of the respective States to which the M.Ps. belong.

(b) The Chief General Managers have been authorised to sanction 15 telephone connections (10 in the State/Constituency and 5 outside the State/Constituency) in a year for each M.P. These powers have been delegated with a view to minimise delay in sanctioning and installation of telephone connections.

(c) No such proposal is under consideration.

रेल डाक सेवा के अंतर्गत चलने वाली रेलगाड़ियों में डाक की छंटाई के कार्य को बन्द किया जाना

712. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डाक विभाग द्वारा रेल डाक सेवा के अंतर्गत चलती रेलगाड़ियों में छंटाई का कार्य बंद कर दिये जाने से पहले तीन में वितरित हो जाने वाला पत्र अब लगभग दस दिन में वितरित होता है;

(ख) यदि हां, तो चलती रेलगाड़ियों में डाक-छंटाई का कार्य बंद करने की सरकारी मजबूरी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस सेवा को उसी स्तर पर बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) किसी भी साधारण पत्र के देश के किसी भी कोने में वितरित होने का अधिकतम निर्धारित समय कितना है; और दिल्ली से प्रेषित किया गया पत्र लखनऊ में वितरण तक कितना समय लेता है; और

(ङ) क्या डाक सेवा को "आवश्यक सेवा" मानकर ऐसी व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें साधारण पत्र देश के किसी भी मांग में पहले की भांति तीन दिन में वितरित हो सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) यह सच नहीं है कि चलती रेलगाड़ियों में डाक की छंटाई बंद कर देने से पहले जो पत्र तीन दिन में वितरित कर दिया जाता था अब उसमें दस दिन लगते हैं ।

(ख) चलती रेलगाड़ियों में निम्नलिखित कारणों से डाक की छंटाई बंद देने के लिए विभाग को बाध्य होना पड़ा :–

(i) रेलवे विभाग द्वारा रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना ।

(ii) रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर गाड़ी के रुकने के समय में कमी करना ।

(iii) डाक की मात्रा में भारी वृद्धि

(iv) रेल गाड़ियों में डाक विभाग द्वारा अपेक्षित स्थान का रेलवे विभाग द्वार प्रबंध न करना ।

(v) रेलगाड़ियों में समुचित डाक डिब्बों (मेल वैनों) का प्रबंध न करना ।

(vi) चलती रेलगाड़ियों में स्टाफ की अनुपस्थिति ।

(vii) जंक्शनों पर प्रायः रेलगाड़ियों का मेल न होना ।

(ग) डाक का शीघ्र निपटान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) डाकघरों में डाक की छंटाई शुरू की गई है ।

(ii) छंटाई पद्धति काफी सरल बना दी गई है, जैसे जिलावार और राज्यवार ।

(iii) राज्यों की डाक सर्किल एकत्रीकरण केन्द्रों में और जिलों की डाक जिला एकत्रीकरण केन्द्रों में एकत्र की जाती है । दूरस्थ सर्किलों की डाक हवाई मार्ग से ले जाई जाती है ।

(iv) राज्य के अन्दर और राज्य से बाहर जाने वाली डाक के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ियों/बसों का प्रयोग किया जाता है ।

(घ) और (ङ) विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार जिला के अंदर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन के अगले दिन वितरित होना चाहिए ; एक ही राज्य के अंदर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन के दूसरे/तीसरे दिन विपरीत होना चाहिए और किसी अन्य राज्य में स्थित गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन से 4 दिनों की अवधि के भीतर वितरित होना चाहिए ।

दिल्ली से लखनऊ को भेजा जाने वाला पत्र डाक में डालने की तिथि से 2 दिनों के भीतर वितरित हो जाना चाहिए ।

डाक का शीघ्र प्रेषण करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं ।

Recasting the seniority in T.E.S. Group B Officers

713. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there had been any judgements delivered by the different Benches of Central Administrative Tribunal directing the Department of Telecommunications to recast the seniority in T.E.S. Group 'B' and extend all other consequential benefits to the applicants ; and

(b) if so, what are the reasons for which the entire seniority list is not being recast and other consequential benefits decided to avoid further litigations by the individuals and save national exchequer ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) The decisions of the Hon'ble Central Administrative Tribunals are being implemented in respect of the petitioners and all others similarly placed offices for which time has been granted by Tribunals up to the 31st August, 1992.

shifting of the Headquarters of C.G.M. Telecom from Ambala to Punjab

714. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government as a policy, operate the headquarters of the C.G.Ms. Telecom Circles in the respective territorial jurisdiction of the concerned Telecom Circle ;

(b) if so, what are the reasons that the headquarter of CGM, Punjab Telecom Circle, is not being shifted from Ambala to Punjab ; and

(c) whether there is any proposal under Government's consideration to shift the same and by when it is likely to be done ?